प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

16 दिसंबर, 2024

संसद में प्रस्तुत सीपीएसई से संबंधित कमर्शियल अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2024 की प्रतिवेदन संख्या 12 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) या संदर्भित निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए। प्रतिवेदन मे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। प्रतिवेदन को आज संसद मे प्रस्तुत किया गया।

2. इस प्रतिवेदन में आठ मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 16 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 30 पृथक अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव `3,437.30 करोड़ है।

3. **प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:**

परिवहन के दौरान कोयले की कमी की वसूली न करने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप ₹17.39 करोड़ की परिहार्य हानि

खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयले के परिवहन के दौरान होने वाली कोयले की कमी के लिए संविदाकार से वसूली के लिए अनुबंध में विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटिड (ईसीएल) अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विफल रही। इस तरह ईसीएल ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया और ₹17.39 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 1.2)

ब्लॉक में निवेश करने का अविवेकपूर्ण निर्णय और बाद में ब्लॉक के त्याग के कारण ₹557.59 करोड़ का निष्फल व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने, तकनीकी समिति के ब्लॉक में सफलता की संभावना (जून, 2013) केवल 11.20 प्रतिशत निर्धारण के तथ्य के बावजूद, 70 प्रतिशत भागीदारी हित के साथ ब्लॉक का अधिग्रहण किया। ओएनजीसी ने नवंबर 2021 में ₹557.59 करोड़ का व्यय करने के बाद कम गैस वॉल्यूम का हवाला देते हुए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को ब्लॉक सौंप दिया। इसके अलावा सहभागी संविदाकार से ₹132.90 करोड़ का आनुपातिक भाग वसूल करने में विफल रहा।

(पैरा 2.3)

सेवा अनुबंध के बिना ₹133.14 करोड़ की टर्बाइन जनरेटर सामग्री को स्वीकार करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सामग्री को निष्क्रिय रखा गया और इसके चालू होने में देरी हुई

ओएनजीसी द्वारा सेवा संविदा के साथ जल अंतःक्षेपण प्लेटफार्म पर तीन पुराने गैस टर्बाइन जेनरेटरों के पुनरुद्धार के लिए सामग्री की आपूर्ति का तुल्यकालन न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹35.02 करोड़ की लागत वाले एक गैस टर्बाइन जेनरेटर को चालू करने में दो वर्ष तक विलंब हुआ और ₹98.12 करोड़ की लागत वाले दो गैस टर्बाइन जेनरेटर निष्क्रिय पड़े रहे, जिन्हें सात वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी चालू किया जाना है।

(पैरा 2.4)

आयातित खेपों की निकासी में लगातार देरी के कारण ₹58.74 करोड़ के विलंब शुल्क

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति में विलंब और प्रविष्टि के बिल को देर से भरने, शिपिंग लाइन द्वारा गलत सुपुर्दगी आदेश, आपूतिकर्ता से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त करने में विलंब और विभागों के मध्य समन्वय की कमी जैसे अन्य प्रचालनात्मक कारणों से ओएनजीसी की ओर से आयातित मालों की खेपों की निकासी में विलंब हुआ था। इससे ओएनजीसी द्वारा 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹110.61 करोड़ के कुल विलंब शुल्क भुगतान में से ₹58.74 करोड़ की सीमा तक विलंब शुल्क की खपत हुई।

(पैरा 2.5)

ग्रिड अनुशासन न बनाए रखने के लिए अतिरिक्त विचलन शुल्क और दंड के भुगतान के लिए ₹112.63 करोड़ का परिहार्य व्यय

अप्रैल 2019 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, दामोदर घाटी निगम (निगम) 1,193 दिनों (93.64 प्रतिशत) के लिए ग्रिड से बिजली लेने को प्रतिबंधित करने में विफल रहा, जबकि औसत आवृत्ति 49.85 हर्ट्ज से कम थी और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त विचलन शुल्क के रूप में ₹61.28 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम उपर्युक्त अवधि के दौरान विचलन निपटान तंत्र विनियमों के उल्लंघन में 874 दिनों के लिए छः ब्लॉकों के बाद संकेत परिवर्तन करने में विफल रहा और संकेत परिवर्तन के ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में ₹51.35 करोड़ का भुगतान किया। इससे एक दिन पहले के आधार पर इसकी समय सारिणी या कार्यक्रम घोषित करने में उचित योजना की कमी और निकासी को यथासंभव सीमा तक सीमित करने के लिए निगरानी तंत्र में चूक का भी पता चलता है जिसके कारण अतिरिक्त विचलन और संकेत परिवर्तन शास्ति के रूप में ₹112.63 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 3.1)

ऋण की मंजूरी और निगरानी के दौरान ऋण नीति का पालन न करने से ₹393.37 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने वित्तीय विवरणों के सभी पहलुओं और जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्लेषण के बिना एक ऋणी को ₹248 करोड़ का ऋण वितरित किया। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने जोखिम शमन के उपायों, वित्तीय विवरणों के उचित विश्लेषण, ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति, ऋण सेवा आरक्षित खाते का रखरखाव, दूरसंचार लाइसेंस के निर्दिष्टीकरण और अग्रणी ऋणदाता के साथ संयुक्त प्रलेखीकरण से संबंधित ऋण नीति और स्वीकृति पत्र के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुपालन न करने के साथ खराब निगरानी के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं हुई और ₹393.37 करोड़ की शुद्ध हानि हुई।

(पैरा 4.1)

पात्र मूल राशि से अधिक के दावों का निपटान करने से 'भुगतान में चूक की राशि' के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने बैंकों/एनबीएफसी/लघु वित्त संस्थानों/अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को ₹50,000 से ₹10 लाख तक के लघु ऋणों में चूक के प्रति

निर्दिष्ट सीमा तक भुगतान की गारंटी देने के उद्देश्य से ''लघु इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू)'' नामक एक योजना स्थापित की। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अधिसूचना (18 अप्रैल 2016 और 16 अप्रैल 2020) के माध्यम से सीजीएफएमयू योजना के संचालन के लिए प्रावधान निर्धारित किए। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान निपटाए गए 65 पोर्टफोलियो वाले 27 सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा ₹3,830.18 करोड़ की चूक/दायर किए गए दावों की संवीक्षा से पता चला कि एमएलआई ने दावों में कम से कम ₹85.77 करोड़ का ब्याज शामिल किया और कंपनी ने ₹42.89 करोड़ तक के ब्याज के दावों का निपटान किया जोकि अप्राय राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत था। यह ब्याज को शामिल न करने और केवल लघु ऋण के प्रमुख घटक पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं (आरबीआई मास्टर सर्कुलर के साथ पठित) का उल्लंघन था, इस प्रकार कंपनी को ब्याज घटक के निपटान के लिए कम से कम ₹42.89 करोड़ की अतिरिक्त देयता का भुगतना करना पड़ा।

(पैरा 4.3)

मूल्य निर्धारण घटकों का निर्धारण किए बिना अपर्याप्त बोली दरें उद्धृत करने के कारण ₹194.08 करोड़ की हानि

द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बोली दरों का निर्धारण जीआईसी के साथ कृषि कोटा शेयर पुनर्बीमा संधि के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं किया था। इससे जीआईसी द्वारा संधि के हानि कॉरिडोर खंड को अधिरोपित किया गया और इसके परिणामस्वरूप ₹194.08 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 4.4)

कोकिंग कोल की खरीद का अविवेकपूर्ण निर्णय

एनएमडीसी लिमिटेड ने कोक ओवन प्लांट और नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संयंत्रों को पूर्ण किए बिना नवंबर 2018 और मई 2019 के बीच ₹372.58 करोड़ मूल्य के 1,61,963 टन कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति की, जिसके परिणामस्वरूप कोकिंग कोल की गुणवत्ता में गिरावट आई और साथ ही तीन वर्ष से अधिक समय तक ₹372.58 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध रही।

(पैरा 6.1)

मरम्मत लागत और अन्य आकस्मिक खर्चों के प्रति ₹15.54 करोड़ की कम वसूली

संविदाकर्ता द्वारा खराब निर्माण गुणवत्ता और दोष दायित्व अवधि के भीतर दोषों को दूर करने में संविदाकर्ता की अनिच्छा के कारण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अन्य संविदाकर्ता के माध्यम से ₹11.85 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य (परामर्शी कार्य सहित) किया। मरम्मत लागत के अलावा, डीएमआरसी ने आवंटियों को वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित करने और पट्टा प्रभार, दलाली आदि के भुगतान के कारण ₹7.81 करोड़ का आकस्मिक व्यय भी वहन किया है। तथापि, डीएमआरसी संविदा में दी गई मध्यस्थता प्रक्रिया के विपरीत समझौता प्रक्रिया के माध्यम से संविदाकर्ता से कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण हुए ₹19.66 करोड़ खर्च के बजाए केवल ₹4.12 करोड़ ही वसूल कर सकी।

(पैरा 7.1)

रियायतग्राहियों को ₹203.07 करोड़ का अनुचित लाभ का विस्तार

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संकर अनूइटी प्रणाली पर महाराष्ट्र में चार अलग-अलग राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए मार्च 2018 में चयनित बोलीदाताओं के संघ को कार्य देने के पत्र जारी किए। तथापि, रियायतग्राहियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई वास्तविक प्रगति नहीं की। एनएचएआई ने 29 जनवरी 2014 के अपने परिपत्र के आधार पर रियायतग्राहियों पर क्षति अधिरोपित की, जिसमें परियोजना लागत के एक प्रतिशत तक क्षति को सीमित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वास्तव में लगाई गई क्षति रियायत करार के संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य क्षति से काफी कम थी। इस प्रकार, रियायत करारों के संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राहियों से क्षति की वसूली करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप रियायतग्राहियों को ₹203.07 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 8.2)

परियोजना के निष्पादन और निगरानी में कमी के कारण ₹179.26 करोड़ का कम पथकर संग्रह और ₹11.01 करोड़ के अप्रत्याशित दावे का भुगतान

संविदाकर्ता ने रायबरेली-बांदा राजमार्ग सेक्शन [लालगंज और फतेहपुर में दो बाइपास और रेलवे उपरिगामी सेतु (रेलवे ओवर ब्रिज) सहित] के उन्नयन के कार्य में विलंब किया, जिसके समय पर पूरा होने से ₹43.64 करोड़ का पथकर राजस्व सुनिश्चित हो सकता था। इसके अलावा, वाणिज्यिक परिचालन के पांच माह के भीतर दोनों रेलवे ओवर ब्रिज में समय से पहले ही खराबी आ गई जिसके कारण यातायात रोकना पड़ा और पथकर वाली सड़क से बाइपासों को अलग करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक ₹179.26 करोड़ का कम पथकर संग्रह हुआ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ₹11.01 करोड़ के लिए पथकर संग्रह करने वाली एजेंसी को अप्रत्याशित दावे का भुगतान किया गया और साथ ही राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा भी हुई।

(पैरा 8.3)

रियायतग्राहियों से ₹21.12 करोड़ के दोहरे पथकर संग्रहण की वसूली न होना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 16 फरवरी 2021 से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए फास्टैग नामक डिजिटल मोड के माध्यम से पथकर का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार, जिन राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्त्ताओं के पास वैध/कार्यात्मक फास्टैग प्रणाली नहीं है, उन्हें सामान्य दर से दोगुनी दर पर पथकर का भुगतान करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संग्रह किए गए पथकर का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार (भारत की संचित निधि) को प्रेषित करने का निर्देश दिया। रियायत अवधि समाप्त होने से पहले रियायतग्राहियों से पथकर की दोहरी देय राशि की वसूली करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विफलता के कारण भारत की संचित निधि को ₹21.12 करोड़ की हानि हुई थी। इसके अलावा, अन्य रियायतग्राहियों/पथकर संग्रहण संविदाकारों से वसूली के लिए ₹63.03 करोड़ की दोहरी पथकर देय राशि लंबित थी।

(पैरा 8.4)

₹41.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

पुल के अभिकल्प में दोष, खराब गुणवत्ता वाली कंक्रीट का प्रयोग और पुल के ऊपर अतिभारित वाहनों के चलने से पुल को क्षति पहुंची और ₹41.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण और त्वरित कार्रवाई से पुल के निर्माण के दौरान

दोषपूर्ण अभिकल्प और खराब गुणवत्ता वाली कंक्रीट आधारित पुल के निर्माण से बचा जा सकता था। चार लेन बनाने की संविदा के संबंध में दोष दायित्व अवधि दिसंबर, 2013 में समाप्त हो गई थी और निर्माण संविदाकार और रियायतग्राही ने क्षति की वसूली के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दावे का विरोध किया था।

(पैरा 8.6)